न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश, प्रथम, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–129/2023

रघुवर शरण.....वादी

बनाम

शैलेन्द्र यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
22.07.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 23.01.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 22.07.2024 को सुना। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि के कुछ अंश एराजी पर सोनु जयसवाल उर्फ सोनेश जयसवाल ने भी वादी की हकियत एवं दखल कब्जें वाली भूमि में अन्य प्रतिवादीगण के साथ हस्तक्षेप कर रहे है तथा तरह–तरह की धमकी दे रहे है। टंकक की गलती से सोनु जयसवाल उर्फ सोनेश जयावाल का नाम टंकित होना छुट गया है। सोनु जयसवाल प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। लेहाजा प्रतिवादी के रूप में सोनु जयसवाल का नाम जोडना न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के संशोधन आवेदन के द्वारा संशोधन करने की अनुमति प्रदान करें। इसके लिए वादी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगा। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है तथा प्रत्युत्तर दाखिल करने से इंकार किये है तथा मौखिक विरोध किया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद उपस्थिति हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने	

न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश, प्रथम, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–129/2023

रघुवर शरण.....वादी

बनाम

शैलेन्द्र यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 22.07.2024	के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है लेकिन वादी के द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में एवं अनावश्यक बहुलता से बचने के लिए वादी का आवेदन दिनांक 23.01.2024 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मो0–3000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें तथा प्रतिवादी को भी स्वतंत्रता होगी कि वह वादपत्र में संशोधन के परिपेक्ष्य तक प्रतिवाद पत्र में अगर आवश्यक समझे तो संशोधन कर सकता है। वाद दिनांक 01.08.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	